संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / अस्प. प्रशा. / सेल–6 / एफ–163 / 2017 / 589 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

विषयः–विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 02.03.2017 को प्रकाशित विभागीय समाचार –" अधिक सिरेजियन डिलेवरी कराने वाले अस्पताल पर नजर रखे स्वास्थ्य विभाग" पर कार्यवाही बाबत्।

संदर्भः–समन्वय शाखा से प्राप्त क्रं.–एफ–32–228 / 64 दिनांक 07.03.2017

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 02.03.2017 को प्रकाशित विभागीय समाचार / खबरों की पेपर कटिंग छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

राज्य महिला आयोग द्वारा निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलेवरी की बढती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुये, साल भर में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसूति आपरेशन होने पर सतत निगरानी रखने एवं जांच करने की अनुशंसा की है, साथ ही प्रदेश के सभी चिकित्सालयों के जच्चा–बच्चा बार्ड में सफाई की बहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा चिकित्सकों / नर्सो द्वारा मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिये है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आयोग की अनुशंसाओं पर कार्यवाही करते हुये निर्देशो का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्टक्रमांक / अस्प. प्रशा. / सेल–6 / एफ–163 / 2017 / 590 भोपाल, दिनांक 11 / 04 / 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8 किसान भवन पुरानी जेल रोड़, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक, आयोग शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
6. श्री थॉमस, कम्प्यूटर कक्ष स्थानीय कार्यालय की ओर विभाग की वेव साईड अपलोड करने हेतु।

संयुक्त संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

दिनांक 8/3/2017

दैनिक जागरण

अधिक सिजेरियन डिलीवरी करवाने वाले अस्पताल पर नजर रखे विभाग

राज्य महिला आयोग की नीतिगत बैठक

भोपाल, निप्र

महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य महिला आयोग की नीतिगत बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयोग ने निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए साल भर में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसूति आपरेशन पर होने पर सतत निगरानी रखने और जांच कराने की अनुशंसा की है। वानखेड़े ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों के जच्चा-बच्चा वार्ड में सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। चिकित्सक और नर्स मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें।

आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग से प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, बालक-बालिका के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाने, प्रत्येक स्कूल में आंतरिक परिवार समिति बनाने और इसकी जानकारी प्रत्येक छात्रा को देने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि समिति का गठन तीन माह में कर सूचित करें। आयोग ने अनुसूचित जनजाति विभाग से सभी बालिका छात्रावासों में एक्वागार्ड लगाने, छात्रों को दी जाने वाली कोचिंग केवल महिला अध्यापिकाओं से करवाने और बिजली एवं खानपान की व्यवस्था बेहतर करने की अनुशंसा की। बैठक में आयोग की सदस्य गंगा उईके, अंजू सिंह बघेल, प्रमिला बाजपेयी, संध्या राय और सूर्या चौहान भी मौजूद थीं।

HD

गांवों में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को मिलेगा क्षतिपूरक भत्ता

दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सरकारी चिकित्सकों की कमी दूर करने की दिशा में भी बजट में एक अनोखी व नई योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को सरकार द्वारा व्यावसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूरक भत्ता देने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ चिकित्सकों को उनके वेतन तथा महगाई भत्ते की कुल राशि पर 20 प्रतिशत से तथा दलित-आदिवासी बहुल गांवों में पदस्थ चिकित्सकों को 25 फीसदी की दर से क्षतिपूरक भत्ता दिया जाएगा।

NHM

राज एक्सप्रेस

हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक ने बताई पीड़ा

नहीं मिलता पर्याप्त बजट कैसे दें मरीजों को दवाएं

पाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

शहर के सबसे बडे हमीदिया स्पताल मे मरीजो की संख्या लगातार ़ रही है। इनमे ओपीडी से लेकर र्ड मे भर्ती मरीज एव रेफरल मरीजो दरकार रहती है कि उन्हे जाच, दवा लेकर सभी उपचार सामग्री स्पताल से ही दी जाए। जबकि स्थिति है कि अस्पताल को बजट ही इतना मिलता है कि सभी मरीजो को दवाए एव अन्य सामग्री नि शुल्क उपलब्ध नही करा है। यह पीड़ा हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. डीएस मरावी ने व्यक्त की। उन्होने या कि शासन को कई बार बजट बढाने को लेकर लिखा भी गया है। इस बार मेडिकल बजट में कुछ इजाफा किया गया है इससे काफी हद तक मरीजो को दवाओ की पूर्ति ने की कोशिश की जाएगी।

ना चाहिए अलग से दवा नीति

ताल प्रबधन का कहना है कि सभी मरीजो को दवाओ की पूर्ति के लिए कायदे से मेडिकल जो और उनसे सबद्ध रेफरल अस्पतालो के लिए अलग से दवा नीति बनना चाहिए। जिसमे ाज के साथ ही शासन स्तर पर बजट मे इजाफा हो।

अस्पताल मे अब देरी से आए चिकित्सक तो कटेगा वेतन

सिविल सर्जन और सीएमएचओ को दिए निर्देश

भोपाल। सरकारी अस्पतालो मे अब यदि कोई चिकित्सक लेट आते है अथवा ओपीडी समय मे किसी अन्य अस्पताल मे सेवाए देने जाते है तो उनके वेतन से कटौती की जाएगी। यह निर्देश स्वास्थ्य प्रमुख सचिव गौरी सिह ने राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिला अस्पतालो के सीएमएचओ और सिविल सर्जन को जारी कर दिए है। जारी निर्देश मे कहा गया है कि चिकित्सको को यह निर्देशित किया जाए कि वह ओपीडी मे समय पर पहुचे। इस दौरान जो चिकित्सक उनके चेम्बर या ओपीडी मे नही पाए गए तो सिविल सर्जन जबावदेह होगे संबधित चिकित्सक डयूटी पर उपस्थित क्यो नही है? साथ ही अस्पतालो की बायोमेट्रिक मशीन से ली गई उपस्थिति को हर दूसरे दिन ई-मेल के माध्यम से विभाग के पास भेजना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालो मे बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। सभी जिला अस्पतालो मे यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए है कि यदि कोई चिकित्सक अवकाश पर है तो उनकी जानकारी अस्पताल के पटल पर डिस्प्ले की जाए। अस्पतालो की ओपीडी मे मरीजो को समय पर जाच रिपार्ट उपलब्ध कराई जाए इसके लिए पैथालाजी लेब के एचओडी को निर्देशित किया गया है।

अधिक सिजेरियन डिलीवरी वाले अस्पतालो पर नजर रखे स्वास्थ्य विभाग

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

राज्य महिला आयोग की बुधवार को यहा आयोजित नीतिगत बैठक मे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। आयोग ने निजी अस्पतालो मे सिजेरियन डिलीवरी की बढती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए साल भर मे 50 प्रतिशत से अधिक प्रसूति आपरेशन पर होने पर सतत निगरानी रखने और जाच कराने की अनुशसा की है। आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद यहा श्रीमती वानखेडे की पहली बैठक थी।

श्रीमती वानखेडे ने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयो के जच्चा-बच्चा वार्ड मे सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करे। चिकित्सक और नर्स मरीजो के साथ अच्छा व्यवहार करें। आयोग अध्यक्ष ने स्कूल शिक्षा विभाग से प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, बालक-बालिका के लिए अलग-अलग टायलेट बनाने, प्रत्येक स्कूल मे आतरिक परिवार समिति बनाने और इसकी जानकारी प्रत्येक छात्रा को देने की अनुशसा की। श्रीमती वानखेडे ने कहा कि समिति का गठन तीन माह मे कर सूचित करें। आयोग ने अनुसूचित जनजाति विभाग से सभी बालिका छात्रावास मे एक्कागार्ड लगाने, छात्रों को दी जानेवाली कोचिंग केवल महिला अध्यापिकाओ से करवाने और बिजली एव खान-पान की व्यवस्था बेहतर करने की अनुशसा की है। आयोग द्वारा मप्र में महिलाओ के प्रति अपराधो के बारे मे पूछने पर गृह विभाग ने बताया कि प्रदेश मे महिलाओ द्वारा की गई शिकायते दर्ज की जाती है, जैसा कि कई अन्य राज्यो में नहीं होता। यहा जीरो टालरेंस की नीति है और शिकायत दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे आगनबाडी, आशा और ऊषा कार्यकर्ता मिलकर महिलाओ के प्रति अपराध रोकने मे सहायता कर रही है। उन्होने कहा कि खासतौर से कन्या महाविद्यालय और विद्यालय के आसपास निर्भया पेट्रोलिंग जारी है। बैठक मे वाणिज्य एव उद्योग, सामाजिक न्याय, वन, चिकित्सा शिक्षा, विधि, नगरीय प्रशासन, जेल, श्रम आदि विभागो मे महिलाओ के लिये लागू योजनाओ और कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम, आतरिक परि०ाद समिति पर चर्चा की गई।

बैठक मे आयोग की अध्यक्ष लता वानखेडे, सदस्य श्रीमती गगा उइके, अजू सिह बघेल, प्रमिला बाजपेयी, सध्या राय औरसूर्या चौहान भी मौजूद थीं।